दिनांक 11.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 17/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कानपुर देहात/थाना रनियां

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 25 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड आदि बरामद**

दिनांक 10.10.2024 को थाना रनियां व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धन्जुआ फ्लाइओवर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–मोनू उर्फ मोना सहित अभियुक्त 2–जयसिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से धोखाधड़ी के 25 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मोनू उर्फ मोना थाना रनियां पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रनियां पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोनू उर्फ मोना निवासी ग्राम आर्यनगर प्रथम थाना रनियां जनपद कानपुर देहात।

2–जयसिंह निवासी ग्राम आर्यनगर प्रथम थाना रनियां जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी

1–धोखाधड़ी के 25 हजार रूपये नगद।

2–02 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड आदि।

जनपद खीरी/थाना गोला

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 06 हजार 900 रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 11.10.2024 को थाना गोला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अलीगंज रोड नहर पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त तालिब उर्फ आजम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 06 हजार 900 रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद खीरी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गोला पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना गोला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–तालिब उर्फ आजम निवासी ग्राम गौरिया थाना फरधान जनपद खीरी।

बरामदगी

1–चोरी के 06 हजार 900 रूपये नगद।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना रामपुर मनिहारान

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 16 लाख रूपये कीमत के भारी मात्रा में चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के 02 हजार रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 11.10.2024 को थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम तेलीपुरा के पास से अभियुक्त सद्दाम को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 16 लाख रूपये कीमत के भारी मात्रा में चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, चोरी के 02 हजार रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.10.2024 को थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, रूपये आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानो में हत्या, चोरी एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सद्दाम निवासी 62 फुटा रोड़ मोहल्ला इकराम थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–लगभग 16 लाख रूपये कीमत के भारी मात्रा में चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–चोरी के 02 हजार रूपये नगद आदि।

जनपद शामली/थाना–थानाभवन

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 70 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के सोने–चाँदी का आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो वाहन आदि बरामद**

दिनांक 10/11.10.2024 को थाना–थानाभवन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नांगल पुलिया हसनपुर लुहारी के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–आशीष घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–तन्मय 3–अस्मित 4–अक्षय कुमार उर्फ गोयल सहित गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 70 हजार रूपये नगद, चोरी के सोने–चाँदी का आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो वाहन आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.08.2024 को थाना–थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना–थानाभवन पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आशीष निवासी ग्राम सपोलिया थाना सिधौली जनपद शाहजहाँपुर।

2–तन्मय निवासी तपोवन थाना मुनि की रेती जनपद टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड।

3–अस्मित निवासी तपोवन थाना मुनि की रेती जनपद टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड।

4–अक्षय कुमार उर्फ गोयल निवासी ग्राम दूधली थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–चोरी के 70 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के सोने–चाँदी का आभूषण।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 बोलेरो वाहन आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना गंगोह

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 13 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 11.10.2024 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नकुड़ रोड़ बिजली घर चौराहा के पास चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1–आकाश 2–मोहित 3–आनन्द 4–अंशुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 13 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त आकाश के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग एवं अभियुक्त मोहित, आनन्द व अंशुल के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 03–03 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गंगोह पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकाश निवासी ग्राम सलारपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

2–मोहित निवासी ग्राम सलारपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

3–आनन्द निवासी ग्राम सलारपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

4–अंशुल निवासी ग्राम कलरहेड़ी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 13 मोटर साइकिल।

<u>जनपद सीतापुर/थाना कोतवाली नगर</u>

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 मोटर साइकिल व मोटर साइकिल के पार्ट्स आदि बरामद**

दिनांक 11.10.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर श्यामनाथ रेलवे क्रासिंग के पास चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1–सौरभ 2–श्याम किशोर उर्फ कल्लू 3–सूरज 4–भानू उर्फ प्रशान्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 मोटर साइकिल व मोटर साइकिल के पार्ट्स आदि बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सौरभ निवासी गौरिया कलाँ थाना कोतवाली देहात जनपद सीतापुर।

2–श्याम किशोर उर्फ कल्लू निवासी गौरिया कलाँ थाना कोतवाली देहात जनपद सीतापुर।

3–सूरज निवासी लोधपुरवा अनोगी थाना संदना जनपद सीतापुर।

4–भानू उर्फ प्रशान्त निवासी चंदेहरा थाना कमलापुर जनपद सीतापुर।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 07 मोटर साइकिल व मोटर साइकिल के पार्ट्स आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–63

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 05 हजार 150 रूपये नगद व 96 एटीएम कार्ड**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 11.10.2024 को थाना सेक्टर–63 पुलिस पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एफएनजी रोड स्थित ऐक्सिस बैंक के एटीएम से अभियुक्त खुर्शीद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से धोखाधड़ी के 05 हजार 150 रूपये नगद व 96 एटीएम कार्ड, घटना में प्रयुक्त 01 कार (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त भोले–भाले लोगो को एटीएम से पैसे निकालने में मदद करने के बहाने उनका पासवर्ड देखकर व एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी की घटना कारित करते है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद व जनपद बागपत, मेरठ के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–63 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–खुर्शीद निवासी इन्दिरापुरी लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बॉर्डर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1–धोखाधड़ी के 05 हजार 150 रूपये नगद व 96 एटीएम कार्ड।

2–घटना में प्रयुक्त 01 कार (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

➢ **जनपद औरैया/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट सपठित धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजेश को आजीवन कठोर कारावास व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बलिया/थाना उभांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना उभांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सतीश कुमार को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–थाना खानपुर, जनपद गाजीपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 325/2016 मे वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी प्रदीप कुमार लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनाक 10–10–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना खानपुर जनपद गाजीपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 325/2016 धारा 302/201/364/120बी/34 भा0द0वि0 में वांछित रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी प्रदीप कुमार को लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 रामअवध राम निवासी सिंहपुर रकैचा, थाना तरवॉ, जनपद आजमगढ।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ के पास, थाना नाका हिण्डोला, कमिष्नरेट लखनऊ। दिनांक 10–10–2024

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 वाराणसी के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री अमित श्रीवास्तव, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा अपनी टीम के साथ अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन हेतु एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी की टीम जनपद लखनऊ में मौजूद थी कि विश्वस्त सूत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना खानपुर, जनपद गाजीपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 325/2016 धारा धारा 302/201/364/120बी/34 भा0द0वि0 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित शातिर अपराधी प्रदीप कुमार चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ के पास मौजूद है, यदि शीघ्रता की जाय तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर प्रदीप कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभिसूचना संकलन एवं गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ से पाया गया कि अभियुक्त प्रदीप कुमार के पिता रामअवध राम कस्बा व थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ में आशीष नर्सिंग होम के नाम हास्पिटल चलाते थे। रामअवध राम का अपने हास्पिटल के ही एक महिला सहकर्मी से संबंध हो गया था, जिसको लेकर रामअवध का अपने परिवार से विवाद रहने लगा, जिसके कारण कुछ दिनों के बाद चिरैयाकोट में अपना हास्पिटल बन्द कर रामवअवध राम अपने महिला सहकर्मी के साथ जहानागंज, जनपद आजमगढ में हास्पिटल खोल लिया। इसके कुछ दिन के उपरान्त रामअवध राम दिनांक 11–07–2016 को अचानक गायब हो गया। इसी दौरान दिनांक 11–07–2016 को एक अज्ञात शव जनपद गाजीपुर के थाना खानपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्रामसभा क्षेत्र सादीभादी में मिला था। इस संबंध ग्राम प्रधान सादीभादी की सूचना पर थाना खानपुर पर मु0अ0सं0 325/2016 धारा 302/201/364/ 120बी/34 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था। उक्त अज्ञात शव की शिनाख्त कुछ माह बाद रामअवध राम के रूप में हुई थी। स्थानीय पुलिस की विवेचना से उक्त घटना में रामअवध राम की पत्नी व इसके बेटे प्रदीप कुमार, संदीप कुमार व आशीष कुमार का नाम प्रकाश में आये, जिसमें से प्रदीप कुमार को छोडकर शेष अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर स्थानीय पुलिस द्वारा जेल भेजा जा चुका था। प्रदीप कुमार वर्ष 2016 से ही फरार चल रहा था, जिसे एस0टी0एफ0 द्वारा दिनांक 10–10–2024 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने घटना के संबंध में बताया कि उसके पिता घर आये जहॉ महिला सहकर्मी को लेकर घर में विवाद हो गया, जिसके दौरान वह और उसके भाई व मॉ ने मिलकर रामअवध की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर शव को बोरे में भर कर औडिहार वाले रोड पर सादीभादी गांव के पास फेंक दिया था। उक्त घटना के खुल जाने पर जब उसके भाई व मॉ जेल चले गये तो वह तभी से लुकछिप कर रह रहा था।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त प्रदीप कुमार को मु0अ0सं0 325/2016 धारा 302/201/364/ 120बी/34 भा0द0वि0 में थाना खानपुर, जनपद गाजीपुर में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है।

———————